

प्रेषक,

जगदीश कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय— डा० उपेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश— वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक जी०ई०-10-T-VI-Old-13-576 दिनांक 26.07.2018 के आलोक में डा० उपेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान स्वीकृति दी जाती है ।

- 2) इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-888(5) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 3) डा० उपेन्द्र तिवारी, सेवा निवृत्ति की तिथि 31.07.2018 है ।
- 4) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अपने स्तर पर डा० उपेन्द्र तिवारी के सभी तरह का बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक :

473 (3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 9/4/19

कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सिविल सर्जन पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० उपेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ । पत्राचार पता-मोहल्ला-शांति निकेतन, डाकघर-खजांची हाट, जिला-पूर्णियाँ, पिन-854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक

प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड

विशेष कार्य पदाधिकारी